



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072025-264798
CG-DL-E-18072025-264798

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3221]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947

No. 3221]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

का.आ. 3291(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों का स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश प्रविष्टि में खंडों का, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगा।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	चैनेज/लंबाई (किमी में)
(1)	(2)	(3)
8	उदयपुर के निकट अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर ककराबान, सोनामुरा को जोड़ने वाला तथा रिमंतपुर (भारत/बांग्लादेश सीमा चेकपोस्ट) पर समाप्त होने वाले स्पर सहित असम/त्रिपुरा सीमा, चुरईबारी, अम्बासा, तेलियामुरा, अगरतला, उदयपपुर, सबरूम और भारत/बांग्लादेश सीमा पर समाप्त होने वाला खंड (त्रिपुरा राज्य में)	संपूर्ण रारा त्रिपुरा राज्य में

108	मानू के निकट रारा-8 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और त्रिपुरा/मिजोरम सीमा तक (त्रिपुरा राज्य में)	संपूर्ण रारा त्रिपुरा राज्य में
108ए	त्रिपुरा राज्य में जोलईबारी के निकट नई रारा सं.-8 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बोलोनिया को जोड़ने वाला और भारत/बांग्लादेश सीमा पर समाप्त होने वाला	संपूर्ण रारा
108बी	त्रिपुरा राज्य में अगरतला के निकट रारा-8 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और खोवई के निकट रारा 208 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला	संपूर्ण रारा
208	त्रिपुरा राज्य में कुमारघाट के निकट रारा-8 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कैलाशहर, खोवई, तेलियामुरा, अमरपुर को जोड़ने वाला और सबरूम (सबरूम) के निकट रारा 8 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला	संपूर्ण रारा
208ए	कैलाशहर रारा-208 के निकट अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर धरमनगर, कदमताला, प्रेमटोला, कुर्ती, आरसीसी पुल को जोड़ते हुए त्रिपुरा/असम सीमा तक (त्रिपुरा राज्य में)	संपूर्ण रारा त्रिपुरा राज्य में

[फा. सं. एनएच- 14013/11/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2025

S.O. 3291(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE.

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage/ Length (in km) (3)
8	Assam/ Tripura border, Churaibari, Ambasa, Teliamura, Agartala, Udaipur, Sabrum and terminating at Indo/Bangladesh Border including spur starting from its junction near Udaipur connecting Kakrabani, Sonamura and terminating at rimantpur (Indo/bangladesh border checkpost). (in the state of Tripura)	Entire NH in the state of Tripura
108	Starting from its junction with NH-8 near Manu and upto Tripura/ Mizoram border. (in the state of Tripura)	Entire NH in the state of Tripura
108A	Starting from its junction with new NH No. 8 near Jolaibari connecting Belonia and terminating at Indo/ Bangladesh border in the state of Tripura.	Entire NH
108B	Starting from its junction with NH 8 near Agartala and terminating at its junction with NH 208 near Khowai in the state of Tripura.	Entire NH

208	Starting from its junction with NH-8 near Kumarghat connecting Kailashahar, Khowai, Teliamura, Amarpur and terminating at its junction with new NH-8 near Sabroom (Sabrum) in the state of Tripura.	Entire NH
208A	Starting from its junction with NH-208 near Kailashahar connecting Dharamnagar, Kadamtala, Premtola, Kurti, RCC Bridge upto Tripura/ Assam border. (in the state of Tripura)	Entire NH in the state of Tripura

[F. No. NH-14013/11/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

का.आ. 3292(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधोलिखित अधिसूचनाओं एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है:-

सारणी

क्र. सं.	का. आ. और दिनांक
1	भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 23 नवंबर, 2016 को प्रकाशित का. आ. 3510, दिनांकित 23 नवंबर, 2016
2	भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 16 मई, 2017 को प्रकाशित का. आ. 1585, दिनांकित 16 मई, 2017
3	भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 20 जुलाई, 2018 को प्रकाशित का. आ. 3529, दिनांकित 17 जुलाई, 2018
4	भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 20 अगस्त, 2018 को प्रकाशित का. आ. 4026, दिनांकित 20 अगस्त, 2018

[फा. सं. एनएच- 14013/11/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2025

S.O. 3292(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby rescinds the notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary as specified in the Table below with immediate effect.

TABLE

Sr. No.	S.O. No. and Date
1	S.O. 3510, dated the 23 rd November, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 23 rd November, 2016.
2	S.O. 1585, dated the 16 th May, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 16 th May, 2017.
3	S.O. 3529, dated the 17 th July, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 20 th July, 2018.
4	S.O. 4026, dated the 20 th August, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 20 th August, 2018.

[F. No. NH-14013/11/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

का.आ. 3293(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 539(अ), दिनांकित 17 फरवरी, 2015 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा:-

44	अगरतला – उदयपुर खंड (त्रिपुरा राज्य में)	किमी 6.800 से किमी 55.600
44	उदयपुर - सबरूम खंड (त्रिपुरा राज्य में)	किमी 55.600 से किमी 133.712

[फा. सं. एनएच- 14013/11/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 539(अ), दिनांकित 17 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2025

S.O. 3293(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 539 (E), dated the 17th February, 2015, namely: -

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted: -

44	Agartala- Udaipur Section (In the State of Tripura)	From Km. 6.800 to Km. 55.600
44	Udaipur- Sabroom Section (In the State of Tripura)	From Km. 55.600 to Km. 133.712

[F. No. NH-14013/11/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O 539 (E), dated the 17th February, 2015

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

का.आ. 3294(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्वधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन तत्समय प्रभावी नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क

परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 30 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"30	-शून्य-	"त्रिपुरा राज्य सरकार

[फा. सं. एनएच- 14013/11/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-3078(अ) और 3079(अ), दिनांकित 10 जुलाई, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2025

S.O. 3294(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 30 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"30	-NIL-	State Government of Tripura".

[F. No. NH-14013/11/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 3078 (E) and 3079(E), dated the 10th July, 2025.